

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/आरोप -02/2018

पटना, दिनांक :-

प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का दोषी मानते हुए सम्यक् विचारोपरान्त डा० राकेश कुमार निराला, ट्यूटर (टेन्थोर), पैथोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के अंतर्गत निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है।

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक- सं० सं०-17/आरोप -02/2018-330/पटना, दिनांक :- 24/5/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहारशरीफ, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी / डा० राकेश कुमार निराला, ट्यूटर (टेन्थोर), पैथोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य/प्रशाखा-02, 03 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।